इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445] भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2016—कार्तिक 7, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 10क-2016-चार-क-निरर्हित व्यक्ति-9839.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक सं. 76-म.प्र.-वि.स.-2013, दिनांक 07 अक्टूबर 2016. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016—15 आश्विन, 1938 (शक)

आदेश

सं. 76-म. प्र.-वि.स.-2013.—यत:, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 में, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और उसके सामने स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में/निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहा है;

और, यत:, उक्त अभ्यर्थी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए

सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:—

सारणी

क्र. सं. (1)	निर्वाचन का विवरण (2)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (3)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता (4)	निरर्हता का कारण (5)
1.	मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2013.	65-मैहर	श्रीमती बित्तो बाई कोल, ग्राम बरा कला, पो. बदेरा, तह. मैहर, जिला सतना.	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रही हैं.

आदेश से,
हस्ता./-
(अनुज जयपुरियार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 07th October, 2016—15 Asvina, 1938 (Saka)

ORDER

No. 76-MP-LA-2013.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2013 in the Madhya Pradesh State specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses/failed to lodge the account of his/her election expenses in manner required by law as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission of India is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10 A of the said Act, the Election Commision of India hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:—

TABLE

Sl. No. (1)	Particulars of Election (2)	Sl. No. & Name of Assembly Constituency (3)	Name & Address Contesting Candidate (4)	Reasons for Disqualification (5)
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2013 in Madhya Pradesh State.	65-Maihar	Shrimati Bitto Bai Kol, Village-Bara Kala, Post-Badera, Tehsil-Maihar, Satna.	Failed to lodge the account of her election expenses in manner required by law.

By order,
Sd/-
(ANUJ JAIPURIAR)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.